


235

1602

न्यायालयश्रीमान राजस्व मण्डल न्यायलियर, बेव रोवा संभाग रोवाम.प्र.



C.F.
82-201

रामेश्वर प्रसाद तनय शंकर काशी उम्र 63 वर्ष, पेशा - खेती, नि.
ग्राम बजरहा टोला वार्ड क्र. 6 सिरमौर, तह. सिरमौर, जिला -
रोवा म.प्र. — आवेदक

बनाम

1. रामनाथ सोनी पिता काशी प्रसाद सोनी
2. कामता प्रसाद सोनी तनय काशी प्रसाद सोनी [कोत्त]

वारितान :-

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> अ. रमेश सोनी उम्र 35 वर्ष, पेशा - व्यापार ब. दिनेश - सोनी उम्र 32 साल, पेशा - व्यापार, स. शिवकुमार सोनी पेशा - व्यापार, उम्र 30 वर्ष 3. सुदामा सोनी उम्र 38 वर्ष, पेशा - व्यापार 4. सुरज सोनी उम्र 36 वर्ष, पेशा - व्यापार | <ul style="list-style-type: none"> दोनों के पिता श्री रामेश्वर प्रसाद सोनी तनय कामता प्रसाद सोनी तीनों नि. सोनारन टोला, तह. सिरमौर जिला - रोवा म.प्र. दोनों के पिता जगदीश प्रसाद सोनी, तनय कामता प्रसाद सोनी, दोनों नि. सोना रनटोला सिरमौर, तह. सिरमौर, जिला - रोवा म.प्र. |
|--|---|

--- अनावेदक गप

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध न्यायालय श्रीमान
अनु. अधि. तह. सिरमौर, जिला - रोवाम.प्र. के
राजस्व प्र. क्र. 21A6/1172 आदेश दि. 21.3.13

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. धू-रा.सं.
सन् 1959ई.

मोहन लाल
क्रमा.:

का ।

मोहन लाल
क्रमा.:

145
25-3-13

R-1590-III 113

अधिवक्ता श्री सुरेश चौरा
सूटो प्रस्तुत
रीवा, दिनांक 25-3-13

[Signature]
श्रीमान चौरा
न्यायालय, म.प्र.
खानपुर

वका
24/4/13

Ashu

[Signature]

235

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-1590-III/13

जिला-रीवा

रामेश्वर प्रसाद काछी / रामनाथ सोनी वगैर:

(1)	(2)	(3)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 02/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21.03.13 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

क्रमांक.

डा।

सदस्य